



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 175]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 21 मई 2020—वैशाख 31, शक 1942

#### सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 21 मई 2020

क्र.-एफ-3-02-2020-छब्बीस-1.—दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) की धारा 101 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए मध्यप्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 के नियम 17 के उपबंधों के अधीन दिव्यांगजनों के लिए पदों की पहचान हेतु अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 26 दिसम्बर 2019 को मंत्रालय में हुई बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार अनुसूची-एक में सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग, अनुसूची-दो में विहित विनिर्देश के अनुसार महिला एवं बाल विकास विभाग की स्थापना में दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित पदों को एतद्वारा पहचान करता है:—

अनुसूची “एक”

(1) महिला एवं बाल विकास विभाग

## अनुसूची "दो"

## निःशक्तजनों के लिये पदों का चिन्हांकन

विभाग : महिला एवं बाल विकास विभाग

श्रेणी	पद/संवर्ग का नाम	सीधी भर्ती के लिये स्वीकृत पद	योग	निःशक्त जनों के लिये चिन्हांकित पदों की संख्या कुल योग (06 प्रतिशत के मान से)	चिन्हांकित पद/संवर्ग एवं संख्या				योग (6+7+8+9)	रिमा क
					दृष्टि बाधित और कम दृष्टि (1.5 प्रतिशत)	बहरे और कम सुनने वाले (1.5 प्रतिशत)	लोकोमोटर डिसेबिलिटी जिसमें सम्मिलित हैं, सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग मुक्त, बोनापन, एसिड अटैक पीड़ित, मस्कुलर डिस्ट्रोफी (1.5 प्रतिशत)	ऑटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और मानसिक बीमारी और बहुविकलांगता (1.5 प्रतिशत)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
द्वितीय	सहायक संचालक	75	75	04	01	01	01	01	04	
	बाल विकास परियोजना अधिकारी	226	226	13	03	04	03	03	13	

No. F-3-15-2019-XXVI-1.—In exercise of the powers conferred by Section 101 of the Rights of Person with Disability Act, 2016 (No. 49 of 2016), for the identification of the posts for the disable persons, under the provisions of Rule 17 of the Madhya Pradesh Rights of Persons with Disability Rule, 2017 as per the decision taken in the meeting held on 26th December 2019 in Mantralaya under the Chairmanship of the Additional Chief Secretary, General Administration Department, Department of Social Justice and Disabled Welfare in Schedule-I, hereby identify the posts reserved for the disable persons as per the Specification prescribed in Schedule-II in the establishment of Women and Child Development Department:—

## SCHEDULE "ONE"

## (1) Women and Child Development Department

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
बूटासिंह इवने, उपसचिव.

**SCHEDULE-II****Posts identified for the Disabled****Department- Women and Child Development Department**

Category	Post/Cadre	Posts accepted for direct recruitment	Total	Posts identified for the disabled (According to 6 percent)	Identified Post/Cadre and No.				Total (6+7+8+9)	Remark
					Blind and low vision (1.5%)	Hearing Impaired Deaf and Hard of Hearing (1.5%)	Locomotors Disability including Cerebral Palsy, Leprosy cured person, Dwarfism, Acid Attack Victim, Muscular Dystrophy (1.5%)	Autism, Intellectual Disability, Specific learning Disability, Mental Illness, Multiple Disability (1.5%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Second	Assistant Director	75	75	04	01	01	01	01	04	
	Child Development Project Officer:	226	226	13	03	04	03	03	13	